न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 74/2025

राजस्थान सरकार जरिये उषा चितारा, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि एवं पदेन परियोजना, निदेशक आत्मा, अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21–22, खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
2. चेस्टा कॅवर पुत्री श्री रूप सिंह, निवासी भुतेरा, गोविंदगढ, जयपुर .....अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्रीमती उषा चितारा उर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक **पेरोकार सरकार**
2. श्री रघुनाथ सिंह प्रोपराईटर अप्रार्थी सं. 01
3. श्री एजाज अहमद अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 व 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरको को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक– 06.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि उर्वरक वितरक/विक्रेता अभियुक्त चेस्टा कॅवर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी भुतेरा, गोविंदगढ, जयपुर, रसायनज्ञ मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22, खसरा नं0 308 उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) द्वारा जारी उर्वरक वितरक प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3526 (वैधता दिनांक 14.12.2028) द्वारा उर्वरको के वितरक हेतु अधिकृत है। प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 29.05.2025 को 11.30 पीएम मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुई। उक्त समय फर्म के प्रोपराईटर एवं जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर, सोनू गेट कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुंक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, किशनगढ, कन्हैयालाल जाट कृषि पर्यवेक्षक एवं श्री कृष्ण कुमार यादव कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित थे। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए) एवं (बी) का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही कर जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र फ़र्द जाप्ता, तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र,

जिला कलक्टर
अजमेर

परिशिष्ट 11 एवं मौका पर्चा तैयार किये गये। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 (ए) का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक के 2671 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमनुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने बावत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 29.05.2025 को 11.30 पीएम मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुई। उक्त समय फर्म के प्रोपराईटर एवं जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर, सोनू गेट कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुंक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, किशनगढ, कन्हैयालाल जाट कृषि पर्यवेक्षक एवं श्री कृष्ण कुमार यादव कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित थे। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए) एवं (बी) का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही कर जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र, फर्द जाप्ता तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र, परिशिष्ट 11 एवं मौका पर्चा तैयार किये गये का विवरण निम्नानुसार है।

क0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक	उर्वरक स्थिति
1	अंकित नहीं (Suspected PROM)	अंकित नहीं	2671 बैग	Granular

उपलब्ध स्टॉक को उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत विक्रय प्रतिबन्ध कर फर्म के प्रतिनिधि मौके पर मौजुद नहीं होने के कारण नोटिस चस्पा कर उपलबध उर्वरक, स्टॉक को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई। प्रार्थी, श्रीमति उषा चितारा, उर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, अजमेर, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 29.05.2025 एवं 05.06.2025 को मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21–22, खसरा नं0 308, उदयपुरकंला, किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर से नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश के तहत नियमानुसार किया गया–

क्र0सं0	नाम उर्वरक	नमूना आहरण दिनांक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक	नमूना कोड

जिला कलक्टर
अजमेर

1	अंकित नहीं (Suspected PROM)	29.05.2025	अंकित नहीं	2671 बैग	UCH/2025-26/F-01
2	Suspected PROM	05.06.2025	अंकित नहीं		UCH/2025-26/F-02
3	Suspected PROM	05.06.2025	अंकित नहीं		UCH/2025-26/F-03
4	Suspected PROM	05.06.2025	अंकित नहीं		UCH/2025-26/F-04
5	Suspected PROM	05.06.2025	अंकित नहीं		UCH/2025-26/F-05
6	Suspected PROM	05.06.2025	अंकित नहीं		UCH/2025-26/F-06

मौके पर प्रत्येक उर्वरक नमूने को तीन प्रतियों में नियमानुसार तैयार कर मोहर से सील बन्द किया गया। फर्म के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं होने के कारण उपरोक्तानुसार शील्ड 18 नमूने कार्यालय में लाये गये। जिसमें से एक–एक नमूना प्रति कुल 06 नमूने विश्लेषण हेतु राज्य उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 193 दिनांक 31.05.2025 एवं 213 दिनांक 09.06.2025 द्वारा भिजवाये गये। शेष बचे कुल 12 नमूना प्रतियॉ को रैफरी अभिरक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर, खण्ड को कार्यालय पत्रांक 195–96 दिनांक 31.05.2025 एवं 215–16 दिनांक 09.06.2025 द्वारा भिजवाये गये। उपरोक्त आहरित नमूनों को प्रभारी अधिकारी, राजकीय उर्वरक परीक्षण, प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर के पत्रांक क्रमश 692–94 दिनांक 18.06.2025, 815–17 दिनांक 23.06.2025, 818–20 दिनांक 23.06.2025, 821–23 दिनांक 23.06.2025 एवं 740–42 दिनांक 19.06.2025 द्वारा अमानक घोषित किया गया। उर्वरक की अमानक रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्माता मैसर्स गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान को अमानक उर्वरक निर्माण, विपणन एवं विक्रय किये जाने पर कार्यालय पत्रांक 337–43 दिनांक 02.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस मय विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया गया जिसका जवाब अप्राप्त है। अमानक उर्वरक जब्ती के उपरान्त उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 28(3) के तहत जब्ती की कार्यवाही की सूचना जिला कलक्टर महोदय को पत्रांक 183–86 दिनांक 31.05.2025 द्वारा निवेदन किया गया। मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 8,19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तयालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुए पत्रांक 5528–5584 दिनांक 08.07.2025 एवं सयुंक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 3008–3013 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरक एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3526 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 29.05.2025 को उनके वितरण एवं भण्डारण

जिला कलक्टर
अजमेर

(Wholesale Of Fertilizer) परिसर में की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की कार्यवाही के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में SB Criminal Misc.Petition No 5408/2025 (मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य) दायर की गई है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 (ए) का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22, खसरा नं0 308, उदयपुरकंला किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थाान के कब्जे में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक के 2671 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमनुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया गया कि मुझ अप्रार्थी की फर्म/इकाई नवस्थापित है जिसे विधिवत लाईसेंस प्राप्त हैं अतः इकाई अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। जिससे फर्म को सीज रखना न्यायोचित नहीं हैं। मुझ अप्रार्थी फर्म का जो माल जब्त किया गया है वह कच्चा माल था जो विनिर्मित होना था इसी लिए जब्तशुदा माल का सैम्पल अमानक आया हैं। मुझ अप्रार्थी की फर्म पर किसी भी प्रकार की मिलावट और निरीक्षण के दौरान कृषि अधिकारी को कही भी किसी प्रकार की नकली डी. ए.पी., एस.एस.पी यूरिया के पैकेट (भरे हुए बैक) नहीं मिले, न ही पैकिंग लेबल मिले है और ना ही गैर मानक विक्रय अथवा धोखाधड़ी की मंशा का कोई प्रमाण मिला हैं। यह कि मुझ अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं। राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। यह कि माननीय न्यायालय उपरोक्त जब्तशुदा सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6 ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्समय की गई कार्यवाही के समय मैं उक्त फर्म में केमिस्ट के पद पर कार्यरत थी जो एफिडेविट दिनांक 17.10.2023 से सिद्ध होता है। कार्यवाही से पूर्व ही मेरे द्वारा उक्त फर्म से नौकरी छोड़ दी गई है वर्तमान में मेरा उक्त फर्म से कोई लेना देना नहीं हैं। मै उक्त फर्म में मात्र कार्मिक थी जिसे एफिडेविट अनुसार जिम्मेदार व्यक्ति घोषित किया गया था किन्तु मेरे द्वारा प्रोपराईटर मैसर्स गोर्वधन एग्रो को दिनांक 04.05.2024 को लिखित एप्लीकेशन वास्ते Resignation बाबत् दी गई थी। अतः सिद्ध होता है कि मेरे द्वारा कार्यवाही से पूर्व ही कम्पनी/फैक्ट्री से रिजाइन कर दिया गया था अतः निर्दोष होने के कारण प्रकरण से दोषमुक्त कराने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.05.2025 को 11.30 पीएम मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो

जिला कलक्टर
अजमेर

प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुई। मौके पर विभागीय अधिकारी श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर, सोनू गेट कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुंक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, किशनगढ, कन्हैयालाल जाट कृषि पर्यवेक्षक एवं श्री कृष्ण कुमार यादव कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित थे। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए) एवं (बी) का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही कर जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र, फर्द जाप्ता तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र, परिशिष्ट 11 एवं मौका पर्चा तैयार किये गये है। फर्म के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं होने के कारण शील्ड 18 नमूने कार्यालय में लाये गये। जिसमें से एक–एक नमूना प्रति कुल 06 नमूने विश्लेषण हेतु राज्य उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 193 दिनांक 31.05.2025 एवं 213 दिनांक 09.06.2025 द्वारा भिजवाये गये। शेष बचे कुल 12 नमूना प्रतियॉ को रैफरी अभिरक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर, खण्ड को कार्यालय पत्रांक 195–96 दिनांक 31.05.2025 एवं 215–16 दिनांक 09.06.2025 द्वारा भिजवाये गये। उपरोक्त आहरित नमूनों को प्रभारी अधिकारी, राजकीय उर्वरक परीक्षण, प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर के पत्रांक क्रमश 692–94 दिनांक 18.06.2025, 815–17 दिनांक 23.06.2025, 818–20 दिनांक 23.06.2025, 821–23 दिनांक 23.06.2025 एवं 740–42 दिनांक 19.06.2025 द्वारा अमानक घोषित किया गया। मैसर्स श्री गोवर्धन एग्रो प्लॉट नं0 21 एवं 22 खसरा नं0 308, उदयपुरकलां, किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 8,19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तयालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुए पत्रांक 5528–5584 दिनांक 08.07.2025 एवं सयुंक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 3008–3013 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरक एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3526 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 (ए) का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया गया हैं। अतः जप्तशुदा उर्वरक (Suspected PROM) के 2671 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, अजमेर जिला अजमेर, उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया/जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर